कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक : 871 /04कैम्प–मु0क्षे0/2024 दिनांकः– 14-03-2024

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री पृथ्वी सिंह ग्राम शहजादनगर, पोस्ट ककरौआ, तहसील सदर, रामपुर का मार्ग कार्य हेतु श्रेणी 'ए' में ठेकेदारी पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक 5085/पंजीकरण (काम)–मु0क्षे0/19 दिनांक 05.12.2019 द्वारा किया गया था तथा जिसका नवीनीकरण पत्रांक 1982/पंजीकरण (रामपुर)–मु0क्षे0/22 दिनांक 15.07.2022 द्वारा दिनांक 30.06.2025 तक के लिए किया गया है।

अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर की निविदा सूचना सं0 234/ई–निविदा–रा0वृत/2023–24 दिनांक 16.01.2024 द्वारा आमंत्रित जनपद रामपुर में खुसरो बाग से काशीपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य एवं गूलर पीपलसाना से पदपुरी मार्ग पर विशेष मरम्मत के कार्य की निविदा में श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री पृथ्वी सिंह ग्राम शहजादनगर, पोस्ट ककरौआ, तहसील सदर, रामपुर द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री पृथ्वी सिंह ग्राम शहजादनगर, पोस्ट ककरौआ, तहसील सदर, रामपुर द्वारा निविदा ई–टेण्डरिंग एवं प्रहरी पोर्टल के माध्यम से वेबसाईट–http://etender.up.nic.in. पर दिनांक 28.01.2024 को सबमिट की गयी। कार्य की तकनीकी बिड दिनांक 29.01.2024 को खोली गयी।

शासनादेश सं0 14/2020/879/तेईस–7–2020–176(सा0)/06 दिनांक 25.08.2020 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री पृथ्वी सिंह ग्राम शहजादनगर, पोस्ट ककरौआ, तहसील सदर, रामपुर की निविदा के विरूद्व वित्तीय वर्ष 2018–19 का टर्न ओवर प्रहरी पोर्टल पर गलत अपलोड करने के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त हुई। इंगित आपत्ति के सम्बन्ध में कार्यालय प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर द्वारा सत्यापन करने पर पाया गया कि उक्त ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रहरी पोर्टल पर वर्ष 2018–19 का टर्न ओवर रू0 368.74 लाख दर्शाया है, जबकि उक्त ठेकेदार/फर्म के चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट श्री योगेश अग्रवाल एण्ड कं0 द्वारा वर्ष 2018–19 का टर्न ओवर रू0 27.60 लाख दर्शाया गया है। जिससे उक्त आपत्ति की पुष्टि हुई तथा पाया गया कि उक्त ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रहरी पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के टर्नओवर को जानबूझकर गलत अपलोड किया गया है।

अतः ठेकेदार द्वारा किया गया कृत्य शासनादेश दिनांक 25.08.2020 द्वारा टेण्डर/निविदा की प्रक्रिया को पारदर्शितापूर्वक कराये जाने के सम्बन्ध में विकसित प्रहरी एप्लीकेशन हेतु निहित व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है। निविदा में ठेकेदार/फर्म द्वारा इस सम्बन्ध में शपथपत्र भी अपलोड किया गया है जो कि स्वयं में असत्य हो जाता है।

उक्त कृत्य हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 485/04कैम्प–मु0क्षे0/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा ठेकेदार/फर्म श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री पृथ्वी सिंह ग्राम शहजादनगर, पोस्ट ककरौआ, तहसील सदर, रामपुर को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, जिसके उत्तर में ठेकेदार/फर्म ने अपने दिनांक रहित पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त टर्न ओवर टाईपो मिस्टैक के कारण प्रहरी पोर्टल पर प्रदर्शित हो गया है। फर्म/ठेकेदार का उक्त प्रत्यावेदन संतोषजनक नहीं है।

मुख्य अभियन्ता (मु0-2) लो0नि0वि0 लखनऊ
डायरी सं0 963
18 MAR 2024
कैम्प–प्र0अभि0 (परि0/नियो0)
डा0सं0 1016 दिनांक 15.3.24
(संजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

क्रमशः पृष्ठ - 02

CamScanner

आदि.डी.एफ.

अतः उपरोक्त प्रकरण में फर्म/ठेकेदार का उत्तर/प्रत्यावेदन तथ्यहीन एवं असंतोषजनक होने के दृष्टिगत शासनादेश सं0 2365एम0एस0/23–पी0डब्लू0–41एम0एस0/54 दिनांक 24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0 362 एम0टी0जी0/70एफ0–68 दिनांक 08.10.1982 एवं शासनादेश सं0 4127एम0एस0/23 सा0नि0 अनु0(7) दिनांक 02.09.1974 के अन्तर्गत फर्म/ठेकेदार श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री पृथ्वी सिंह ग्राम शहजादनगर, पोस्ट ककरौआ, तहसील सदर, रामपुर को 06 माह के लिए डिबार किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

ह0/-
(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/(ग्रामीण सड़क)/परि0/नियो0), लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0–2), सामान्य वर्ग लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद/रामपुर वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद/रामपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता कम्प्यूटराइज्ड खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।
9. श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री पृथ्वी सिंह ग्राम शहजादनगर, पोस्ट ककरौआ, तहसील सदर, रामपुर। (पंजीकृत)

SPS 14/03

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0
मुरादाबाद।
14/03/24

CS CamScanner